

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर  
पीठासीन अधिकारी— जगदीश आर्य

सिविल प्रकरण संख्या:— 30/2023

तारीख रजू 13.06.2023

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।  
.....आवेदक

बनाम

1. मालिक — सैयद कबीर अली पुत्र रफीक अली मुसलमान निवासी 109 खारा कुआं, मलारना डूंगर, जिला सवाई माधोपुर मैसर्स हाजी किराना स्टोर मैन मार्केट मलारना डूंगर सवाई माधोपुर
2. विक्रेता — अमजद अली पुत्र सैयद कबीर अली मुसलमान निवासी 109 खारा कुआं, मलारना डूंगर, जिला सवाई माधोपुर मैसर्स हाजी किराना स्टोर मैन मार्केट मलारना डूंगर सवाई माधोपुर
3. मैसर्स — हाजी किराना स्टोर मैन मार्केट मलारना डूंगर सवाई माधोपुर  
..... अभियुक्तगण

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) एवं 2 (v)/धारा 52 एफएसएस एक्ट 2006  
एवं नियम 2011

निर्णय:—

दिनांक 28.05.2024

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वेद प्रकाश पूर्विया खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) एवं 2 (v) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 13.09.2022 को समय 02.00 पी.एम. पर मैसर्स— हाजी किराना स्टोर मैन मार्केट मलारना डूंगर सवाई माधोपुर पर पहुंचा। वहां पर अमजद अली पुत्र सैयद कबीर अली मुसलमान निवासी 109 खारा कुआं, मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर (मौके पर विक्रेता) मिला। उसे आवेदक ने अपना परिचय दिया एवं फर्म का खाद्य अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन मांगा जो उसने पेश किया। फर्म का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु मुनक्का (आर एस ब्राण्ड) 250 ग्राम पैकिट में रखा था। मुनक्का (आर एस ब्राण्ड) 250 ग्राम पैकिट में गुणवत्ता/मिलावट का अनदेशा होने पर वास्ते नमूना जांच मुनक्का (आर एस ब्राण्ड) के 04 पैकिट खरीदकर उसकी कीमत 600/- रुपये विक्रेता को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर हैं तथा उपस्थित गवाहान वीरेन्द्र सिंह एवं मुस्ताक अली के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा मुनक्का (आर एस ब्राण्ड) 250 ग्राम पैकिट को विक्रेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सुथरे प्लास्टिक की डिब्बों दिखाकर उक्त खरीदशुदा मुनक्का (आर एस ब्राण्ड) 250 ग्राम पैकिट को मूल ही लेकर प्रत्येक डिब्बे में 01-01 कर डाला एवं डिब्बो



न्याय निर्णयन अधिकारी  
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट  
सवाई माधोपुर

को ढक्कन लगाकर ऐयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक डिब्बे पर चिपकाये और लेबलो पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं क्रमांक H-2429 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथागवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारो नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. H-2429 नियमानुसार प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनो पर गवाहों के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता अमजद अली ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5ए की एक प्रति श्री अमजद अली विक्रेता को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नम्बर 6 की सात प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे मौके पर नमूना सील बन्द किया गया था। एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की एक प्रति के एक आउटर कवर में लपेटकर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म नम्बर 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों को एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गयी। आवेदक को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2022/111 दिनांक 14.10.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक राज. जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/2744/एक्ट/2022/2777 दिनांक 27.09.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ मुनक्का (आर एस ब्राण्ड) का नमूना मिथ्याछाप प्रकृति का पाया गया।

उक्त प्रकरण में उपर अंकित अभियुक्त ने मिसब्राण्ड प्रकृति की खाद्य पदार्थ मुनक्का (आर एस ब्राण्ड) का विक्रय/निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में जुर्माने योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्तगण उपस्थित हुये। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अभियुक्तगण ने मिसब्राण्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zf)(c)(i)) खाद्य पदार्थ मुनक्का (आर एस ब्राण्ड) का विक्रय/निर्माण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है। अतः अभियुक्तगण को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावे।



न्याय निर्णयन अधिकारी  
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट  
सवाई माधोपुर


अभियुक्तगण ने बहस में तर्क दिया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा अभियुक्त की दुकान से खाद्य पदार्थ मुनक्का (आर एस ब्राण्ड) का सेम्पल भरा गया था जिसको जयपुर की लेब द्वारा मिसब्राण्ड प्रकृति का माना गया है। प्रार्थी एक छोटा दुकानदार है। अन्त में अभियुक्तगण ने प्रकरण में जुर्म स्वीकार करते हुए न्यूनतम शास्ति अधिरोपित कर प्रकरण का निस्तारण करने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/2744/एक्ट/2022/2777 दिनांक 27.09.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ मुनक्का (आर एस ब्राण्ड) मिसब्राण्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zf)(C)(i)) (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii)) का उल्लंघन किया है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्ध अपराधी करार दिया जाता है, चूँकि अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है। उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्तगण को मिसब्राण्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zf)(C)(i)) (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) प्रकृति के खाद्य पदार्थ मुनक्का (आर एस ब्राण्ड) का विक्रय/निर्माण करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नियम 52 के अन्तर्गत अभियुक्तगण पर 10,000/-रु० (अक्षरे दस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगणों को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर-अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 28.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

  
(जगदीश आर्य)  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर